

# न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

30 / 2018

कमलेश सैनी एडवोकेट निवासी बडवाली हवेली सुभाष बाजार टोंक राज०

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 11.06.2018


अपील अपीलान्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 21.03.2018 को प्रेषित कर अपीलान्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:—

- 1—खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आज दिनांक 20.03.2018 तक किस-किस को जोडा गया की सूची।
- 2—टोंक शहर में कुल कितनी राशन की दुकाने हैं। संचालक के नाम सहित सूची।
- 3—प्रत्येक राशन की दुकान को कितनी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसका विवरण (सूची) वार्ड के अनुसार
- 4—रसद विभाग के अनुसार टोंक जिले में कुल कितने बीपीएल, अन्त्योदय व स्टेट बीपीएल आस्था कार्ड है का विवरण नाम सहित उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र क्रमांक 866 दिनांक 30.05.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र क्रमांक 463 दिनांक 06.06.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 49 दिनांक 17.04.2018 से अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दू संख्या 1,3 व 4 की सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवा दी गई है। बिन्दू संख्या 2 की सूचना के संबंध में 2 पृष्ठ के 2 रुपये के हिसाब से 4 रुपये जमा कराने हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं कराया है। शुल्क जमा कराने पर शेष बिन्दू सं० 2 की भी सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे एवं निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित राशि जमा कराने पर नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करावे।



  
(आर.सी.ढेनवाल)  
जिला कलेक्टर एवं  
प्रथम अपील अधिकारी टोंक